October 04, 2025

The Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
BSE Scrip code – 532541
Equity ISIN INE591G01025

The General Manager,
Department of Corporate Services
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra, Mumbai – 400 051
NSE Scrip code – COFORGE

Dear Sir/Madam,

Sub: Subject: Newspaper publication– Notice of Postal Ballot & Remote E-Voting

We wish to inform you that pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, the Company has published the information related to "Dispatch completion of Notice of Postal Ballot including the details of remote e-voting facility offered to the Members" in the following newspapers:

a) Business Standard (Hindi)
b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,
Yours truly

For **Coforge Limited**

BARKHA SHARMA Digitally signed by BARKHA SHARMA Date: 2025.10.04 20:05:28 +05'30'

Barkha Sharma
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

Putin seeks to fix India trade imbalance

Orders bringing down trade barriers to purchase pharma, agri produce

ARCHIS MOHAN
New Delhi, 3 October

"THE LOSSES FACED BY INDIA DUE TO PUNITIVE US TARIFFS WOULD BE BALANCED BY CRUDE IMPORTS FROM RUSSIA"

"(INDIA) WILL NEVER ALLOW ITSELF TO BE HUMILIATED BY ANYONE. I KNOW PRIME MINISTER MODI. HE WILL ALSO NOT MAKE ANY SUCH DECISIONS"

Vladimir Putin, President, Russia

Russian President Vladimir Putin has instructed his Cabinet ministers to explore ways to address New Delhi's concerns on the imbalance in the Russia-India bilateral trade, bring down trade barriers to purchase Indian pharmaceuticals and agricultural produce and increase engagement with India's private companies.

Putin's instructions to his Cabinet are significant as Russia and India are keen to sign a raft of agreements to deepen their cooperation across sectors when the Russian President visits India for the annual India-Russia summit in the first week of December.

Even as Prime Minister Narendra Modi is likely to meet US President Donald Trump on the sidelines of the East Asia Summit in Kuala Lumpur later this month, Moscow is keen to convey to New Delhi its commitment to a deeper Russia-India cooperation to offset the losses the latter is facing with the White House imposing an additional 25 per cent tariff on Indian goods for New Delhi's purchase of Russian oil.

Putin on Thursday said he has instructed First Deputy Prime Minister Denis Manturov to "personally" look at expanding trade and economic relations with India to their fullest potential. Russian news agencies TASS, Interfax and RT news channel, reported on Friday that Putin has directed Manturov, who had served as the industry and trade minister from 2102 to 2024, to resolve issues with India concerning logistics, settlement of payments and eliminating trade imbalances.

On US tariffs on India, Putin said the Indian people will not tolerate their country being bullied into making a decision that contradicts their national interests and priorities. "(India) will never allow itself to be humiliated by anyone. I know Prime Minister Modi, he will also not make any such decisions," he said. "The losses faced by India due to punitive US tariffs would be balanced by crude imports from Russia, plus it will gain prestige as a sovereign nation," Putin said.

On Thursday, at a meeting of the Valdai International Discussion Club, Putin said the current Russia-India bilateral trade falls short of the two countries' potential. "Our trade turnover with India is now around $63 billion. Do you realise what India's [population is]? One and a half billion people, while in Belarus there are 10 million. Our turnover with Belarus is $50 billion and with India [it is] $63 billion. This clearly does not correspond to our potential possibilities," Putin said.

The Russian President spoke of the need to resolve "a whole range of problems" to unlock "our capabilities and potential advantages". He identified issues related to logistics, and financing, especially processing of payments.

The Russian President described Prime Minister Narendra Modi as "a reliable partner for Russia", and as a "balanced, wise" and "nationally oriented" leader. Putin said he feels comfortable in their trustworthy interactions. Putin also responded positively to a suggestion to set up a Russian-Indian fund for cooperation on technology, cybersecurity and artificial intelligence.

India may buy more batches of S-400s during Putin visit

India is looking at procuring additional batches of S-400 surface-to-air missile systems from Russia, people familiar with the matter said on Friday. It is learnt that the proposed procurement may figure in talks between New Delhi and Moscow when Russian President Vladimir Putin visits India in December. In October 2018, India signed a $5 billion deal with Russia to buy five units of the S-400 air defence missile systems. PTI

IAF chief lays out tech, capability road map for 2047

Says PAF may have lost as many as 13 platforms — including a number of American F-16 jets-during Op Sindoor

BHASWAR KUMAR
New Delhi, 3 October

Chief of the Air Staff (CAS), Air Chief Marshal AP Singh, said on Friday that the Indian Air Force (IAF) had formulated a technology and capability road map titled 'Vision 2047' and was actively working towards its realisation to prepare for the evolving nature of warfare.

He also emphasised that unmanned systems were not expected to fully replace manned fighter jets in the foreseeable future.

Speaking at a press conference in the national capital ahead of the 93rd Air Force Day, the IAF chief outlined the road map's overarching goal: "We are transforming ourselves into a multi-domain aerospace force — one that can safeguard national interests and serve as a capable military instrument of choice across the entire spectrum of conflict."

Clarifying that the road map was not a finalised document, he also added that it represented the IAF's current assessment of how technologies and capabilities were expected to evolve.

He said that the air force was actively monitoring global advancements in air power.

The IAF chief added that the road map is anchored in self-reliance (Aatmanirbharta), without which the timely procurement and effective exploitation of equipment — as and when required — is not possible.

While declining to disclose specifics of the road map, the IAF chief indicated the service's future priorities by noting that all the handful of sixth-generation combat aircraft programmes underway globally are manned platforms.

"The importance of manned platforms, as I see it in the foreseeable future — and I am not talking just eight to 10 years, but even beyond that — is not going to fade away," he said.

However, the CAS emphasised that the IAF was fully supporting the Ghatak unmanned combat aerial vehicle (UCAV) being developed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO). "Yes, we have to work towards unmanned systems as well," he said. "There are certain areas where you don't want to risk human life, where unmanned systems are necessary — places where they can operate ahead of your manned systems. So, work is underway in that direction, and a number of research and development (R&D) projects are ongoing."

"SAYING THAT MY NEXT GENERATION WILL SEE ONLY UNMANNED SYSTEMS... IT WILL NOT HAPPEN LIKE THAT. MANNED PLATFORMS WILL REMAIN"

Amar Preet Singh
Chief of Air Staff

He added that, in addition to conventional UAVs, processes for acquiring combat- and weapon-capable UAVs were also in place. "The UCAV programme is already on, and we are fully supporting it. We understand it has to be part of our overall force structure. The Vision 2047 document also talks about it," he said, before reiterating: "But taking (manned) fighters out will not happen."

Responding to a question on how the IAF was addressing challenges along the northern borders, the CAS said that new infrastructure was coming up in the forward areas almost every day.

"New advanced landing grounds and new air bases are being built and developed. New options are being considered on how we can take our resources to the forward areas, and how we can support our troops there. Along with that, we're addressing the challenges of the terrain, which is quite different from that faced on the western front in terms of elevation."

Asked about Pakistan's losses during Operation Sindoor, the IAF chief said the Pakistan Air Force (PAF) might have lost as many as 13 platforms — including a number of its prized American F-16 fighter jets — during the nearly four-day conflict.

He said the IAF's strikes damaged or destroyed radars at around four locations, command and control centres at two others, and runways at two. He added that three PAF hangars across three separate stations were also hit, damaging or destroying two large platforms — likely in the class of the American C-130 transport aircraft and an airborne early warning and control (AEW&C) platform.

Also destroyed or damaged were at least four-five fighter aircraft, most likely F-16s that were under maintenance on the ground.

According to the IAF chief, one Pakistani surface-to-air missile (SAM) system was also destroyed.

Advertising volumes on PM Narendra Modi's 75th b'day

More than 220 advertisers used 108,000 column centimetres across over 400 Indian newspapers to wish Prime Minister Narendra Modi on his 75th birthday on September 17 this year. The SRM Group and JK Tyre were among the top advertisers. Add political and social ads wishing him and the total comes to 363,000 column centimetres according to AdEx India, a division of TAM Media Research.

On television, government political and social ads conveying wishes accounted for nearly 28 hours of airtime across over 90 channels. Non-political advertisers or 'pure advertisers' as AdEx defines them, advertised for a total of half an hour across different channels. While there was a lot of digital advertising too, online ads are coded differently making specific theme ads difficult to discern unlike say in TV or print. That meant not enough data sets were available for analysis, says the TAM report.

"The scale of greetings for Prime Minister Narendra Modi's 75th birthday was remarkable across media," says L V Krishnan, CEO, TAM Media Research.

What could it be compared to?

"Most events are multi-day or built over a period of time, hence not directly comparable with this one day event," he noted. BS REPORTER

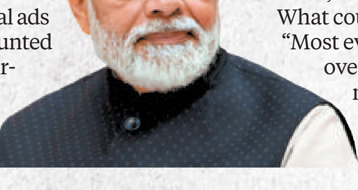

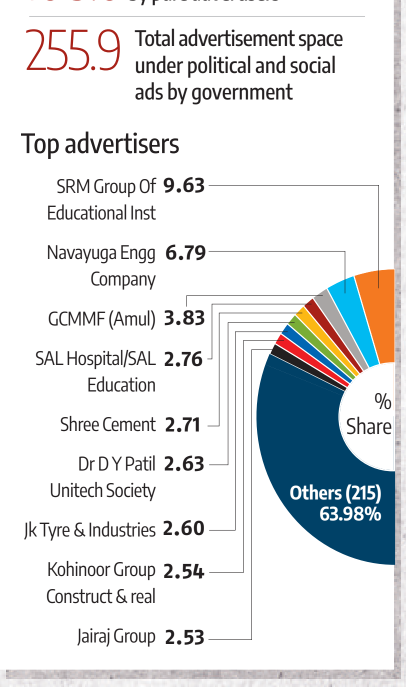

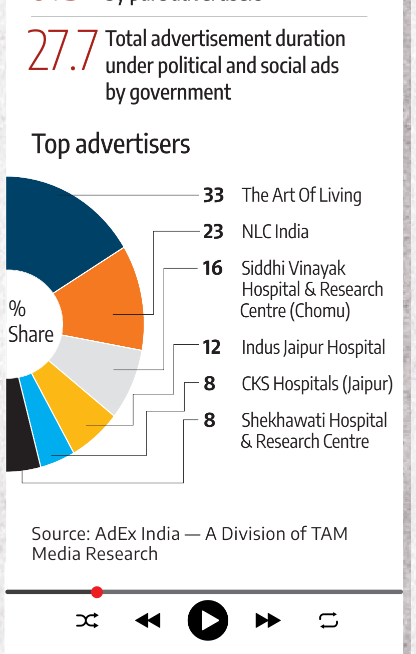

Source: AdEx India — A Division of TAM Media Research

Pak must be held accountable: MEA on PoK protest crackdown

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 3 October

India on Friday said Pakistan must be held accountable for its "horrific" human rights violations against innocent protesters in Pakistan-Occupied Kashmir (PoK).

Several areas in PoK have witnessed widespread protests with people demanding basic rights, justice and an end to what they described as systemic oppression.

"We have seen reports on protests in several areas of Pakistan occupied Jammu and Kashmir, including brutalities by Pakistani forces on innocent civilians," external affairs ministry spokesperson Randhir Jaiswal said. "We believe that it is a natural consequence of Pakistan's oppressive approach and its systemic plundering of resources from these territories, which remain under its forcible and illegal occupation," he said. Jaiswal was responding to a question at his weekly media briefing.

"Pakistan must be held accountable for its horrific human rights violations," he said. Nearly 172 police personnel and around 50 civilians sustained injuries during the demonstrations.

No Fastag for tolls? Relief on penalty if paid via UPI, says govt

DHRUVAKSH SAHA
New Delhi, 3 October

In a bid to end cash leakages during toll collections on national highways, the ministry of road transport and highways has introduced a provision which will now allow users who do not have Fastag to pay a reduced extra charge if they choose to pay the toll through a unified payments interface (UPI) platform.

"Provided that if the user of the vehicle, without a Fastag or a valid, functional, as the case may be, opts to pay fee through the UPI, he shall pay 1.25 times of the user fee applicable to that category of vehicle," the highways ministry said in a notification today.

The new rule will come into effect from November 15, the notification said.

Currently, users who do not have an installed or functioning Fastag have to pay twice the amount at the toll plaza. This move was announced by the government to increase the adoption of the system, which has brought down wait times at toll plazas significantly.The current adoption of Fastag among highway users is around 98 per cent, and this has brought down average wait time at toll plazas to 47 seconds as of 2022, according to government estimates.

For example, if the user fee for a particular class of vehicle is ₹100 and that vehicle enters a fee plaza without a Fastag or a valid, functional Fastag, the user will pay two times the user fee (₹200 in cash) and in case the user opts to pay the fee through UPI, he will pay 1.25 times or ₹125.

The change is expected to reduce the usage of cash at toll plazas. Union highways minister Nitin Gadkari had said that there are major leakages in national highway toll collection. During the launch of the ministry's satellite-based toll collection in June 2024, Gadkari had said that close to ₹10,000 crore is lost to leakages every year.

Centre issues advisory on cough syrups

The Centre on Friday issued an advisory to all states and Union territories calling for rational use of cough syrups in the paediatric population and to never prescribe or dispense cough and cold medications to children under 2 years of age.

"These are generally not recommended for ages below five years and above that, any use should follow careful clinical supervision and adherence to appropriate dosing," it added.

This comes after at least eleven deaths were reported in Madhya Pradesh and Rajasthan due to kidney-related complications caused by cough syrups.

The cough syrups in question have been tested, along with a joint team visiting the regions affected by deaths. The team consisted of representatives from the National Centre for Disease Control (NCDC), National Institute of Virology (NIV) and Central Drugs Standard Control Organisation. SANKET KOUL

SBI DFHI LIMITED
5th Floor, Mistry Bhavan, 122, Dinshaw Vaccha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020
No: SYS/25-26/RFP/003 Date: 03.10.2025
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
RFP Bid Proposals are invited for "Supply, Implementation & Management of Security Operations Centre Services". For further details please visit our website: **https://www.sbidfhi.co.in**
Sd/-
EVP & CFO

ramco
RAMCO SYSTEMS LIMITED
CIN: L72300TN1997PLC037550
Registered Office: 47, P S K Nagar, Rajapalayam - 626 108
Corporate Office: 64, Sardar Patel Road, Taramani, Chennai - 600 113
E-mail : investorrelations@ramco.com Website: www.ramco.com
Phone: +91 44 2235 4510/6653 4000, Fax: +91 44 2235 2884
SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES
Pursuant to SEBI circular No.SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July 2025, shareholders are informed that, a special window is opened only for re-lodgement of transfer deeds, lodged prior to 1st April 2019, and which were rejected/returned/not attended to, due to deficiency in the documents /process/or otherwise.
This facility of re-lodgement will be available from 7th July 2025 to 6th January 2026.
Shareholders are requested to re-lodge such cases with the RTA, latest by 6th January 2026 at the following address:
Cameo Corporate Services Limited (Unit: Ramco Systems Limited)
'Subramanian Building', No.1, Club House Road,
Chennai – 600002. Tamil Nadu, India
Phone: +91 44 4002 0700
Online Investor Portal : https://wisdom.cameoindia.com
Website : www.cameoindia.com
The lodger must have a demat account and provide its Client Master List ('CML'), along with the transfer documents and share certificate, while lodging the documents for transfer with RTA.
For **RAMCO SYSTEMS LIMITED**
Sd/-
MITHUN V
COMPANY SECRETARY
Place: **Chennai**
Date: **October 03, 2025**

Coforge | Coforge Limited
CIN: L72100HR1992PLC128382
Regd Office: Plot No. 13, Udyog Vihar, Phase-IV, Sector-18. Palam Road, Gurugram - 122015, Haryana, India
Ph: 0124-4627837. **Email:** investors@coforge.com, **Website:** https://www.coforge.com
NOTICE OF POSTAL BALLOT
NOTICE is hereby given that pursuant to Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations"), read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and the latest one being General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), the relevant circulars issued by the Securities Exchange Board of India, latest being SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 ("SEBI Circulars") and Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), for seeking the approval of the Members of Coforge Limited to transact the Businesses as set in the Postal Ballot Notice dated September 22, 2025 along with the explanatory statement ("Postal Ballot Notice"), by way of resolutions through Postal Ballot, only by voting through electronic means (i.e. remote e-voting).
In view of the aforesaid MCA circulars the physical copies of the Postal Ballot Notice are not being dispatched and the Postal Ballot Notice has been sent only through email. The Company has on October 03, 2025, sent the emails through National Securities Depository Limited ("NSDL") containing Postal Ballot Notice to the members whose email IDs are registered with the Depositories or the Company. The said Postal Ballot Notice has been sent to all the shareholders whose names appeared in the Register of Members /record of Depositories as on September 26, 2025 ('cut-off date').
Members, who have not received the Notice, may download it from the website of the Company at www.coforge.com under the 'investors' section (weblink: **https://www.coforge.com/hubfs/Postal-Ballot-Notice-September-2025.pdf**) or may request for a softcopy of the same by writing to the Company Secretary at the above mentioned email id or registered office address of the Company. The aforesaid Postal Ballot Notice is also available on the websites of National Stock Exchange of India Limited at **https://www.nseindia.com** and BSE Limited at **https://www.bseindia.com** where the securities of the Company are listed and on the website of NSDL (the e-voting service provider) at **www.evoting.nsdl.com**.
Members whose email IDs are not registered, are requested to register their email id's by contacting (i) relevant Depository Participant (in case of dematerialised shares) or (ii) the Company at **investors@coforge.com** or Alankit Assignments Limited ("RTA") at **rta@alankit.com** (in case of physical shares) by sending a signed request letter in form ISR-1 (available on the website of the Company) along with self-attested copy of PAN Card and address proof and such other documents as provided in the said form. Post successful registration of the email, the Members may reach NSDL website to generate the password online by providing his/her credentials. In case of any queries, Members may write to **evoting@nsdl.com** or **investors@coforge.com**.
The instruction for participation in the remote e-voting is provided in the Postal Ballot Notice. The Notice also contains the instructions with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their email address either with the Company or their respective Depository Participants ("DPs").
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations and SS-2, the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to vote on the businesses as set forth in the Postal Ballot Notice by electronic means only. The Company has engaged services of NSDL for providing e-voting facility to all its Shareholders. Shareholders are requested to note that e-voting period will commence on Saturday, October 04, 2025 at 09:00 AM (IST) and shall end on Sunday, November 02, 2025 at 05:00 PM (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for e-voting thereafter and e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the members shall be in proportion to their shares in the paid-up share capital of the Company as on cut-off date. The shareholders are requested to vote through e-voting. A person who is not a member on the cut-off date shall treat this Notice for information purposes only. The detailed procedure for e-voting is provided in Postal Ballot Notice.
Mr. Nityanand Singh, Company Secretary (Membership No. FCS 2668; COP 2388) from M/s. Nityanand Singh & Co., Company Secretaries has been appointed by the Board of Directors of the Company as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and remote e-voting process in a fair and transparent manner. The results of the Postal Ballot will be announced by the Chairman of the Company or Company Secretary duly authorized on or before November 03, 2025 and communicated to the Stock Exchanges and shall also be displayed on the website of the Company i.e. **www.coforge.com** and on the website of NSDL (e-voting service provider) i.e. **www.nsdl.com**.
In case of any queries or grievances relating to electronic voting, Members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available at the download section of **https://www.evoting.nsdl.com** or contact NSDL helpdesk at 022 – 4886 7000 or send a request to Mr. Amit Vishal, Deputy Vice President, NSDL or Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Vice President at **evoting@nsdl.com**. Members may also write to Company Secretary at **investors@coforge.com** or registered office address of the Company.
Members may please also note that SEBI has amended Regulation 40 of SEBI Listing Regulations and has mandated that all requests for effecting transfer of securities including transmission and transposition shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialization, members are advised to dematerialize the shares held by them in physical form. Members may contact the Company/RTA in this regard.
Further, in terms of the provisions of Act, members desirous of appointing their Nominees for the shares held by them may apply in the Nomination Form (Form - SH 13). Member desirous to opt out or cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/ she may submit the same in Form ISR-3 or SH-14 as the case may be. The said forms can be downloaded from the Company's website. Members are requested to submit the said details to their DP in case the shares are held by them in dematerialized form and to RTA in case the shares are held in physical form.
Furthermore, members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc. to their DP in case the shares are held by them in electronic form and to RTA Alankit Assignments Limited in case the shares are held by them in physical form in the prescribed Form ISR-1 and other forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 03, 2021, SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated December 14, 2021 and read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 dated June 23, 2025 and other relevant circulars issued from time to time.
For and on behalf of
Coforge Limited
Sd/-
Barkha Sharma
Company Secretary
ACS: 24060
Dated : October 03, 2025
Place : Greater Noida

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालयः 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

गाजियाबाद शाखाः- प्लॉट नंबर 11 यूजी-1, आईएनएस 11 एसजी अल्फा टावर, सेक्टर-9 वसुंधरा, गाजियाबाद -201012

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अधीन सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ... [illegible]

ऋण खाता सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम / पता	[illegible] का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
0030666000 0478, बी.ओ.: गाजियाबाद	श्रीमती श्वेता सिंह (उधारकर्ता) और श्री अविनाश पंकज (सह-उधारकर्ता) पता:1- 2/25, पहली मंजिल, सेक्टर-6, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011, पता:2- 1/731, दूसरी मंजिल, सेक्टर-1, वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012, **श्रीमती श्वेता सिंह पता:3**- मेसर्स आइकॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, प्लॉट नंबर 215, जीएफ, नीति खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010, **श्री अविनाश पंकज पता:4**- मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, के-23 और 24, सेक्टर-18, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, **पता:5**- 7, स्टाफ क्वार्टर, बाल भवन, नई दिल्ली-110002।	श्री राज कुमार पुत्र श्री छिद्दा सिंह पता:1- बी-533, द्वितीय तल, पिछला भाग, गेट नं-4 के पास, ग्रीन फील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003, पता:2- मेसर्स सुप्रीम फिनकॉन (प्रा.) लिमिटेड, 4/10, रामेश्वर टावर, द्वितीय तल, सेक्टर-4, वैशाली मेन मार्केट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011, पता:3- 1/731, द्वितीय तल, सेक्टर-1, वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012।	1/731, द्वितीय तल, सेक्टर-1, वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012।	24.09.2025	19-09-2025 तक रु. 16,50,501.07/- (रुपये सोलह लाख पचास हजार पांच सौ एक और सात पैसे मात्र)

स्थानः गाजियाबाद, दिनांकः 04.10.2025 — प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

एसीएन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

(CIN: U74899DL1994PLC063931)
पंजीकृत कार्यालयः एफ-201, दूसरी मंजिल, बिल्डिंग नं 3, आशीष कॉम्प्लेक्स, एलएससी, न्यू राजधानी एन्क्लेव, शाहदरा, दिल्ली-110092
ईमेलः delhi.acn@gmail.com; फोनः 011-22014500

सार्वजनिक सूचना

यह सूचना कंपनी के निदेशक के रूप में **श्री गिरीश चंद खन्ना**, डीआईएनः 10947563 की नियुक्ति के संबंध में आरबीआई अनुमोदन पत्र सं. DEL.DOR.NBFC.BL.No.5473/24-03-123/2025-2026 दिनांक 1 अक्टूबर, 2025 के अनुपालन में दी जा रही है।

इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण/आपत्ति अपने हित की प्रकृति एवं आशय की सूचना के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर नॉन-बैंकिंग सुपरविजन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजी जा सकती हैं। यह सार्वजनिक सूचना **कंपनी** और उपरोक्त नामित **निदेशक** द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जा रही है।

कृते एसीएन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

हस्ता/- प्रवीण कुमार, पूर्णकालिक निदेशक, डीआईएनः 06630719
हस्ता/- गिरीश चंद खन्ना (प्रस्तावित निदेशक), डीआईएनः 10947563

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 4 अक्टूबर, 2025

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India

होलम्बी शाखा
गाँव होलम्बी खुर्द, मान पब्लिक स्कूल के पास, दिल्ली 110082
ईमेल आईडी : ubin0540561@unionbankofindia.bank

धारा 13 (2) के अंतर्गत ड्राफ्ट माँग सूचना

दिनांक : 20.09.2025, स्थान : दिल्ली

प्रति :
1(क) श्री अरुण कुमार (उधारकर्ता/आवेदक), मकान संख्या बी 127 राजधानी पार्क, पीएनबी एटीएम के पास, नांगलोई, दिल्ली 110041
पता यहां पर भी : मैसर्स एस के सॉफ्ट, 34 एक्सटेंशन 1, नांगलोई, दिल्ली 110041
फ्लैट नं. 52, तृतीय तल, ब्लॉक 1 पॉकेट 11, सेक्टर ए6, नरेला, दिल्ली 110040
2. श्री हीरा लाल पंडित (गारंटर), मकान संख्या 343, जनता फ्लैट, पॉकेट 11, सेक्टर ए6, नरेला, दिल्ली 110040
श्रीमान / श्रीमती,

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (3) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना।

आप, यहाँ प्रारम्भकर्ता संख्या 1, ने हमारी होलम्बी शाखा से निम्नलिखित ऋण सुविधाएँ प्राप्त की और देय/किस्त/ब्याज का भुगतान करने/खातों को संतोषजनक संचालन करने में विफल रहे हैं। इसलिए, आय पहचान और विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके खाते को 29/11/2019 को अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिनांक 31/08/2025 तक आपके खातों/खाते में रु. 9,16,097.48 (रुपये नौ लाख सोलह हजार सतानवे और अड़तालीस पैसे मात्र) की एक राशि बकाया है।
उपरोक्त खातों/खाते के संबंध में आप में से क्रमांक 1 की ओर से बैंक को देय राशि के विवरण इस प्रकार हैं :

सुविधा का प्रकार	एनपीए की तिथि अर्थात 31-08-2025 के अनुसार बकाया राशि	31-08-2025 तक अलागूकृत ब्याज	दांडिक ब्याज (साधारण)	बैंक द्वारा वहनकृत लागत / शुल्क	कुल देयराशियाँ
गृह ऋण	रु. 5,80,023.16	रु. 3,36,074.32	-	-	रु. 9,16,097.48
कुल देयराशियाँ					रु. 9,16,097.48

बैंक को देय राशि या देय होने वाली राशि की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए, श्री अरुण कुमार ने 15-03-2016 को दस्तावेज निष्पादित किए थे/कर चुके हैं और निम्नलिखित के माध्यम से प्रतिभूति हित सृजित किया है :
नीचे वर्णित अचल संपत्ति का बंधक :
डीडीए फ्लैट संख्या 52, जनता श्रेणी के अंतर्गत तीसरी मंजिल, ब्लॉक 1 पॉकेट 11 सेक्टर ए6, नरेला, दिल्ली 110040, सीमा :- पूर्व में : पार्क, पश्चिम में : प्रवेश द्वार, उत्तर में : फ्लैट संख्या 51, दक्षिण में : फ्लैट संख्या 53
अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप ऋण की शर्तों के अनुसार संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और शुल्क सहित रु. 9,16,097.48 का भुगतान करें। आप अपने द्वारा निष्पादित दस्तावेजों का पालन करें और इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करें। ऐसा न करने पर, हम उक्त अधिनियम के तहत दिए गए किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करके उपरोक्त प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिए बाध्य होंगे।
अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, इस सूचना की प्राप्ति पर आपको बैंक की सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूतियों का निस्तारण या लेन-देन करने से प्रतिबंधित / निषेधित किया जाता है।
प्रतिभूत आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।
आपका विश्वासपात्र,
प्राधिकृत अधिकारी

सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड / Cent Bank Home Finance Limited

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की अनुषंगी — Subsidiary of Central Bank of India

Corrigendum

Reference to our advertisement published in this newspaper on 30th September 2025, Captioned **INVITES PUBLIC DEPOSITS (PUBLIC DEPOSIT SCHEME)** under heading **TERMS & CONDITIONS GOVERNING FIXED DEPOSIT/CUMULATIVE DEPOSIT FOR PUBLIC & NON-PUBLIC, Point No. XII, Sub Point No. 4,** should be read as **''Where the due date of any payment falls on Sundays, Bank Holiday or any other day on which the office remains closed, the payment will be made on the next working day and interest will be paid for holiday period'',** The Place for inviting deposits from the public should be read as '**Bhopal**'

By Order of the Board
Shri Rakesh Sharma
Managing Director & CEO

Place: Bhopal
Date: 03.10.2025

PUBLIC NOTICE

I, Mrs. Kanchan, Ex-Wife of Mr. Ratan Gautam, resident of JB-16, 3rd Floor (Left Side), Khirki Extension, Malviya Nagar, New Delhi-110017, am the co-owner (50% share)of the property situated at the aforesaid address.
That in the year 2017, I had handed over the original property documents to Mr. Omkar, relative of my ex-husband and resident of Atulya Apartment, Sector-18B, Dwarka, New Delhi-110077, for safe custody. Despite repeated requests and service of legal notices dated 27.08.2025 and 12.09.2025, the said documents have not been returned to me.
I hereby inform the general public, authorities, banks and financial institutions that I have not authorized anyone to sell, mortgage, transfer, pledge or otherwise deal with the said property or its documents. Any such act, if done, shall be illegal, void, and not binding on me. Any person(s) dealing with the said documents or with Mr. Omkar or any third party shall be doing so at his/her/their own risk and responsibility.
This public notice is issued to safeguard my legal rights and to prevent any misuse of the aforesaid property documents.

Date : 04-10-2025 — Sd/-
Place: New Delhi — (Mrs. Kanchan)

PUBLIC NOTICE

In pursuance of Rule 19(2) of DCS Rules, 2007, applications are invited from the General Public of Delhi who fulfill the conditions laid down in Rule 19 and 20 of DCS Rules, 2007 for filling up seven (07) vacancies in The Home Living Co-operative Group Housing Society Limited (Regn. No.1225/GH) at Plot No.14, Sector-09, Dwarka, New Delhi-110077, which have arisen due to the resignations of members. Interested persons can collect the application form in person only on 5th & 6th October,2025 from the office of the society i.e. Plot No.14, Sector-09, Dwarka, New Delhi-110077, between 9:00 am to 3:00 pm on payment of Rs.500/- in cash. The application forms completed in all respect along with the amount of Rs.30,00,110/- (Rupees Thirty Lakhs One Hundred Ten only) through Bank Cheque/DD/PO in favour of The Home Living Co-operative Group Housing Society Limited, which include membership admission fee, share money, land money, construction money, equalization charges etc. and other required documents can be submitted personally on 11th October, 2025 & 12th October, 2025 between 9:00 am to 3:30 pm in society office. The balance amount of the unit cost as communicated at the time of receipt of the application will have to be paid by the eligible applicants to the society within a week. In case, the number of applications is more than seven (07), then the draw of lots will be held under the supervision of the Registrar, Cooperative Societies, Govt. of NCT of Delhi, Old Court's Building, Parliament Street, New Delhi-110001 and intimation thereof will be given to each applicant separately. The Bank Cheque/DD/PO of the unsuccessful applicants can be collected from the society's office after one week of draw of lots of applications received by the society from prospective members.
For The Home Living CGHS Ltd.

-Sd-
President/Secretary

सी एण्ड एस इलेक्ट्रिक लिमिटेड

CIN: U31909DL1971PLC005672
पंजीकृत कार्यालय: 210, 211 एवं 212, द्वितीय मंजिल, सालकोन ओरम बिल्डिंग, प्लॉट न० 4, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली -110025
फोन: +91 11 69225600
वेबसाइट: www.cselectric.co.in
ईमेल: secretarial@cselectric.co.in
info@cselectric.co.in

कम्पनी के शेयरधारकों के ध्यानार्थ सूचना

प्रिय शेयरधारक,
निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) द्वारा प्रवर्तित **"सक्षम निवेशक"** अभियान के तहत, शेयरधारकों को अपने बेदावा शेयर/लाभांषों का दावा करने एवं निवेशक सेवाओं को बेहतर बनानें के लिए अपने केवाईसी रिकार्ड को अद्यतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के बेदावा लाभांषों को आईईपीएफ में पहले ही स्थानांतरित कर दिया है, जिसका दावा आप निम्न निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर आईईपीएफ से कर सकते हैं। इसके अलावा, आप आवश्यक दस्तावेज जमा करा कर कम्पनी से आगामी वर्षों के लिए बेदावा लाभांषों का दावा कर सकते हैं। आप secretarial@cselectric.co.in पर ईमेल भेजकर ऐसे लाभांषों की राशि एवं दावा करने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
हम आपसे केवाईसी विवरण (जैसे पैन, मोबाइल न०, ईमेल आईडी, बैंक खाते का विवरण) के जल्दी से जल्दी अपडेट करने का अनुरोध करते हैं।
अपने केवाईसी रिकार्ड के अपडेट करने के लिए, कृपया हमारे रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेन्ट (आरटीए), अलंकित असाइनमेन्ट्स लिमिटेड से सहायक दस्तावेजों के साथ सम्पर्क करें।
अलंकित असाइनमेन्ट्स लिमिटेड
अलंकित हाऊस, 4ई/2, झण्डेवालान एक्सटेन्सन, नई दिल्ली - 110055
फोन: +91-11-4254 1234, +91-11-2355 2001
वेबसाइट: www.alankit.com
ईमेल: alankit_rta@alankit.com

कृते सी एण्ड एस इलेक्ट्रिक लिमिटेड
हस्ता०/-
तिथि: 4/10/2025 — **कम्पनी सचिव**

Coforge | कोफोर्ज लिमिटेड

CIN: L72100HR1992PLC128382
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 13, उद्योग विहार, फेज-IV, सेक्टर-18, पालम रोड, गुरूग्राम-122015, हरियाणा, भारत
फोन : 0124 - 4627837. **ई-मेल:** investors@coforge.com, **वेबसाइट:** https://www.coforge.com

पोस्टल बैलट की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 ("नियमावली") के नियम 20 और नियम 22 (अस्थायी रूप से लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुर्नअधिनियमन सहित), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44, यथा संशोधित ("सेबी सूचीकरण विनियमावली") के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 और नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांकित 22 सितंबर, 2025 ("एमसीए परिपत्र"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्र, नवीनतम परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांकित 03 अक्टूबर, 2024 ("सेबी परिपत्र") भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") और किसी भी अन्य लागू कानून, नियम और विनियम (अस्थायी रूप से लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसरण में पोस्टल बैलट की सूचना दिनांकित 22 सितम्बर, 2025 व्याख्यात्मक विवरण सहित ("पोस्टल बैलट नोटिस") में निर्धारित व्यवसायों को पोस्टल बैलट के माध्यम से प्रस्तावों के माध्यम से, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान (अर्थात रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा, निष्पादित करने के लिए कोफोर्ज लिमिटेड के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु।

उपरोक्त एमसीए परिपत्रों को दृष्टिगत रखते हुए, पोस्टल बैलट सूचना की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी जा रही हैं और पोस्टल बैलट सूचना केवल ईमेल के माध्यम से भेजी गई है। कम्पनी ने 03 अक्टूबर, 2025 को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") के माध्यम से उन सदस्यों को पोस्टल बैलट सूचना युक्त ईमेल भेजे हैं जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी या कम्पनी के साथ पंजीकृत हैं। उक्त पोस्टल बैलट सूचना उन सभी शेयरधारकों को भेजी गई है जिनके नाम 26 सितंबर, 2025 ('कट-ऑफ तिथि') तक सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दर्ज थे।

जिन सदस्यों को यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वे इसे कम्पनी की वेबसाइट **www.coforge.com** पर 'निवेशक' अनुभाग (वेबलिंक : **https://www.coforge.com/hubfs/Postal-Ballot-Notice-September-2025.pdf**) के अंतर्गत डाउनलोड कर सकते हैं अथवा कम्पनी सचिव को उपरोक्त ईमेल आईडी या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर लिखकर इसकी सॉफ्टकॉपी प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकते हैं। उपरोक्त पोस्टल बैलट सूचना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **https://www.nseindia.com** और बीएसई लिमिटेड, जहां कम्पनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट **https://www.bseindia.com** तथा एनएसडीएल (ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे (i) संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डिमैटीरियलाइज्ड शेयरों के मामले में) या (ii) कम्पनी से **investors@coforge.com** पर अथवा अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड ("आरटीए") से तजं/संदापजण्बवउ पर (भौतिक शेयरों के मामले में) सम्पर्क करके अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कराएं। इसके लिए उन्हें फॉर्म आईएसआर-1 (कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) में हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और पते के प्रमाण और उक्त फॉर्म में वर्णित अन्य दस्तावेजों के साथ भेजना होगा। ईमेल के सफल पंजीकरण के बाद, सदस्य अपना क्रेडेंशियल प्रदान करके ऑनलाइन पासवर्ड बनाने के लिए एनएसडीएल वेबसाइट पर जा सकते हैं। किसी भी प्रश्न के लिए, सदस्य **evoting@nsdl.com** या **investors@coforge.com** पर लिख सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने संबंधी अनुदेश पोस्टल बैलट सूचना में दिए गए हैं। इस सूचना में उन शेयरधारकों के लिए लॉगइन क्रेडेंशियल के संबंध में भी अनुदेश दिए गए हैं, जिनके पास भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने कम्पनी अथवा अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 तथा सेबी सूचीकरण विनियमावली के विनियम 44 और एसएस-2 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी सदस्यों को पोस्टल बैलट सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कम्पनी ने अपने सभी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि ई-वोटिंग अवधि शनिवार 04 अक्टूबर, 2025 को प्रातः 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) से प्रारंभ होकर रविवार, 02 नवंबर, 2025 को सायं 05:00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल ई-वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उक्त तिथि व समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। सदस्यों के मताधिकार, कट-ऑफ तिथि को कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करें। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसको यह सूचना केवल जानकारी के निमित्त माननी चाहिए। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया पोस्टल बैलट सूचना में दी गई है।

मेसर्स नित्यानंद सिंह एंड कम्पनी, कम्पनी सेक्रेटरीज के श्री नित्यानंद सिंह, कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 2668; सीओपी 2388) को कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा पोस्टल बैलट और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है। पोस्टल बैलट के परिणाम कम्पनी के अध्यक्ष अथवा कम्पनी सचिव द्वारा विधिवत अधिकृत रूप से 03 नवंबर, 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे। साथ ही, ये परिणाम कम्पनी की वेबसाइट **www.coforge.com** और NSDL (ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) की वेबसाइट **www.nsdl.com** पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य **https://www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू'ज) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा 022 – 4886 7000 पर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल के उप-उपाध्यक्ष श्री अमित विशाल या सहायक उपाध्यक्ष सुश्री पल्लवी म्हात्रे को **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेज सकते हैं। सदस्य कम्पनी सचिव को **investors@coforge.com** पर या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी लिख सकते हैं।

सदस्य कृपया यह भी ध्यान दें कि सेबी ने सेबी सूचीकरण विनियमावली के विनियम 40 में संशोधन किया है और यह अनिवार्य किया है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण, जिसमें ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन शामिल हैं, के सभी अनुरोधों पर केवल डीमैट रूप में ही कार्रवाई की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और डीमैट रूप में विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास मौजूद शेयरों को भौतिक रूप में डीमैट रूप में ही रखें। सदस्य इस संबंध में कम्पनी/आरटीए से सम्पर्क कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अपने शेयरों के लिए अपने नामिती नियुक्त करने के इच्छुक सदस्य नामांकन प्रपत्र (फॉर्म – एसएच 13) में आवेदन कर सकते हैं। यदि सदस्य पूर्व नामांकन से बाहर निकलना या उसे रद्द करके नया नामांकन दर्ज कराना चाहते हैं, तो वे फॉर्म आईएसआर-3 अथवा एसएच-14, जैसा भी मामला हो, में आवेदन कर सकते हैं। उक्त प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर उनके पास डीमैट रूप में हैं, तो वे उक्त विवरण अपने डीपी को और यदि शेयर भौतिक रूप में हैं, तो आरटीए को प्रस्तुत करें।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके द्वारा धारित शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं, तो वे अपने नाम, डाक पता, ईमेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, प्राधिकार, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि से संबंधित परिवर्तनों की सूचना, यदि कोई हो, अपने डीपी को सूचित करें और यदि उनके द्वारा धारित शेयर भौतिक रूप में हैं तो आरटीए अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को तो निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 और सेबी परिपत्र संख्या सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांकित 03 नवंबर, 2021, सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/687 दिनांकित 14 दिसंबर, 2021 तथा सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडीपीओडी1/ पी/सीआईआर/2023/37 दिनांकित 16 मार्च, 2023 के साथ पठित सेबी मास्टर परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी/पी/सीआईआर/2025/91 दिनांकित 23 जून, 2025 और समय समय पर जारी किए गए अन्य संबद्ध परिपत्रों के अनुसरण में अन्य फॉर्म्स में सूचित करें।

कृते एवं हिते
कोफोर्ज लिमिटेड
हस्ता/-
बरखा शर्मा
कम्पनी सचिव
ACS: 24060

तिथि : अक्टूबर 03, 2025
स्थान : ग्रेटर नोएडा

ई-नीलामी तिथिः 20.11.2025
फॉर्म संख्या 22
[विनियमन 36(I) देखें]

पंजीकृत ए/डी/दस्ती/एफिक्सेशन/ड्रम बजाकर
बिक्री उद्घोषणा
वसूली अधिकारी-1 का कार्यालय
ऋण वसूली अधिकरण -देहरादून में
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा,
सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड 248171

आर.सी. संख्या 23/2018 — **दिनांकः** 15.09.2025

ऋण वसूली और शोधन क्षमता अधिनियम 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38,52(2) के अंतर्गत बिक्री की उद्घोषणा
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम रुदा मल नरेन्द्र कुमार एवं अन्य

सेवा में,
सीडी नंबर 1: मेसर्स रुदा मल नरेंद्र कुमार जैन एक प्रोपराइटरशिप कंसर्न, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, कार्यालय पता-3, लांबा बाजार, मेरठ रोड मुजफ्फरनगर, उ.प्र. -251001.
सीडी नंबर 2: प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री नरेंद्र कुमार जैन, (प्रो. मेसर्स रुदा मल नरेंद्र कुमार जैन), निवासी मकान नंबर 97, खुब्बीपुरकृष्ण, मुजफ्फरनगर उ.प्र. 251001,
सीडी नंबर 3: श्रीमती सुनीता जैन पत्नी श्री प्रदीप कुमार जैन, निवासी मकान नंबर 97, खुब्बीपुरकृष्णा, मुजफ्फरनगर, उ.प्र. 251001.
सीडी नं. 4: स्वर्गीय श्रीमती रानी मंजूषा जैन पत्नी श्री नरेंद्र कुमार जैन, निवासी मकान नंबर 97, खुब्बीपुरकृष्णा, मुजफ्फरनगर, उ.प्र. 2511101
(देयता मृतक कर्जदार की विरासत में मिली संपत्ति की सीमा तक सीमित है)
सीडी संख्या 4 (1) स्वर्गीय श्रीमती दीपा जैन (पुत्री) पत्नी श्री आदिश जैन का अंतिम निवास मकान संख्या 2728, चौथी मंजिल, सेक्टर-46, गुरुग्राम, हरियाणा - 122003 में है, उनके कानूनी उत्तराधिकारी हैं: (देयता मृतक कर्जदार की विरासत में मिली संपत्ति की सीमा तक सीमित है)
सीडी संख्या 4 (1) (क) पिंकी जैन (पुत्री)
सीडी संख्या 4 (1) (ख) कामिनी जैन (पुत्री)
सीडी संख्या 4 (2) स्वर्गीय श्रीमती पूनम जैन (पुत्री) पत्नी स्व. श्री सुबोध जैन, अंतिम निवास मकान संख्या 6, बिल्डिंग संख्या 6, आवास विकास कॉलोनी, शकुंतला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251001 में है, उनके कानूनी उत्तराधिकारी हैं: (देयता उनके द्वारा विरासत में प्राप्त मृतक उधारकर्ता की संपत्ति की सीमा तक सीमित है)
सीडी संख्या 4 (2) (क) निधि जैन (पुत्री)
सीडी संख्या 4 (2) (ख) सोनू जैन (पुत्र)
सीडी संख्या 4 (2) (ग) कामिनी जैन (पुत्री)
सीडी संख्या 4 (3) श्रीमती सीमा जैन (पुत्री) पत्नी श्री प्रमोद जैन, निवासी मकान संख्या 197, प्लॉट-2, फ्लैट 3बी, प्रथम तल, सूर्या अपार्टमेंट, रिठाला, रोहिणी सेक्टर-7, दिल्ली-110085।
सीडी संख्या 4 (4) श्रीमती शबनम जैन (पुत्री) पत्नी श्री प्रमोद जैन, निवासी मकान संख्या 173, कृष्णापुरी, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.-251002।
सीडी नं. 4 (5) श्रीमती मधु जैन (बेटी) पत्नी श्री विनय जैन निवासी मकान नंबर 500/13, आवास विकास कॉलोनी, शकुंतलम, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.-251001
सीडी नंबर 4 (6) श्री प्रदीप कुमार जैन (पुत्र) (सीडी नंबर 2 भी) निवासी मकान नंबर। 97, खब्बीपुरकृष्ण, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.-251001
सीडी 5: मेसर्स सन्मति इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड ऑफिसएट-3, लांबा बाजार। मेरठ रोड. मुजफ्फरनगर, उ.प्र.-251001.

जैसा कि वर्तमान मामले में पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून द्वारा जारी ओए मामला संख्या 206/2017 में वसूली प्रमाण पत्र के संबंध में रु. 1,73,11,726.08 (रुपये एक करोड़ तिहत्तर लाख ग्यारह हजार सात सौ छब्बीस और आठ पैसे मात्र) की राशि, 27/09/2017 से वसूली तक पेंडेंटे-लाइट सहित 12.00% साधारण ब्याज की दर से लंबित और भावी ब्याज सहित तथा रु. 1,97,000 (रुपये एक लाख सत्तानबे हजार मात्र) की लागत का आदेश सीडी के विरुद्ध दिया जाता है।
जबकि प्रमाण पत्र संख्या आरसी/23/2018 के संबंध में देय (सी.डी.) 12.09.2025 तक रु. 3,40,45,532.30 (रुपये तीन करोड़ चालीस लाख पैंतालीस हजार पांच सौ बत्तीस और तीस पैसे मात्र) (सी.डी.) द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा है।
और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि में नीचे अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी भी स्थगन आदेश के अभाव में, उक्त संपत्ति 20.11.2025 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच (यदि आवश्यक हो तो दोपहर 12:00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ) ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी और बोली मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: वसूली अधिकारी कार्यालय, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून संपर्क संख्या 0135-2974077 और संपत्ति निरीक्षण के लिए श्री भानु प्रताप, विधि प्रबंधक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (मोबाइल नंबर 9310110525) से संपर्क करें।
संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलतबयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जाएगी, रु. 74,00,000/- है।
2. जिस राशि से बोली बढ़ाई जानी है, वह रु. 1,00,000/- होगी। बोली की राशि या बोलीदाता संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, लॉट को तुरंत फिर से नीलामी में रखा जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का खरीदार घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि उसके द्वारा बोली गई राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। जब प्रस्तावित मूल्य इतना अपर्याप्त प्रतीत होता है कि ऐसा करना अनुचित है तो उच्चतम बोली को अस्वीकार / स्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी के विवेक पर होगा।
4. रु. 7,40,000/- की ईएमडी 17.11.2025 तक डीडी के माध्यम से वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पक्ष में वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पास जमा की जानी है और संपत्ति का विवरण पैन कार्ड की प्रति, पता प्रमाण और पहचान प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और कंपनी के मामले में या कंपनी के प्रतिनिधित्व/अटमीट की पुष्टि करने वाले किसी अन्य दस्तावेज के साथ और भौतिक रूप में इस तरह के जमा की रसीद/काउंटर फाइल अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। ईएमडी की अंतिम तिथि के बाद जमा किए गए ईएमडी और अपेक्षित दस्तावेजों को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
5. सफल बोलीदाता को अगली तिथि अर्थात 21.11.2025 को अपराह्न 3:00 बजे तक ईएमडी के समायोजन के बाद बिक्री आय का 25% आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सीधे खाता संख्याः 7360878086, खाता नामः वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण देहरादून जिसका आईएफएससी कोड संख्याः कळ्ळ०००ऊ57 है, में जमा करना होगा या वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पास जमा करना होगा। यदि अगला दिन अवकाश या रविवार है, तो अगले पहले कार्यालय दिवस पर जमा करना होगा।
6. क्रेता को बिक्री आय का शेष 75% संपत्ति की बिक्री की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा, उस दिन को छोड़कर, या यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर निर्धारित तरीके से आरटीजीएस/एनईएफटी/सीधे खाता संख्याः 7360878086, खाता नामः वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण देहरादून जिसका आईएफएससी कोड संख्याः **IDIB000D557** है, में जमा करना होगा या वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पास जमा करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पास 1,000/- रुपये तक 2% की दर से पाउंडेज शुल्क और 1,000/- रुपये की उक्त राशि से अधिक का 1% डीडी के माध्यम से रजिस्ट्रार, डीआरटी देहरादून के पक्ष में जमा करना होगा।

निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होने की स्थिति में, बिक्री के व्ययों को डिफ्रे करने के बाद जमा राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझे, सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर सभी दावों को खो देगा, जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है। बिक्री की नई घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा।
संपत्ति ''जैसी है, जहाँ है'' के आधार पर बेची जा रही है।
इस बिक्री पर संबंधित कानूनों के अनुसार स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि लागू होंगे। इससे संबंधित सभी खर्च और आकस्मिक शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएँगे।
अधोहस्ताक्षरी अनुचित पाए जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

लॉट सं.	बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण, अन्य सह-स्वामी के नाम के साथ, जहां संपत्ति चूककर्ता की है और कोई अन्य व्यक्ति सह-स्वामी है।	संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	संपत्ति पर लगने वाले किसी अन्य ऋणभार का विवरण	संपत्ति के संबंध में किए गए दावे, यदि कोई हों, तथा उसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण।
1	2	3	4	5
1	दुकान संख्या 2, निगम संख्या 3, क्षेत्रफल 28 वर्ग गज (252 वर्ग फुट) वाली व्यावसायिक संपत्ति, लम्बा बाजार में स्थित, शिव चौक के पास, मुजफ़्फ़रनगर, उत्तर प्रदेश, प्रदीप कुमार जैन के नाम पर, बिक्री विलेख संख्या 2718 दिनांक 30.04.1992, उप-पंजीयक मुजफ़्फ़रनगर (उत्तर प्रदेश) के पास विधिवत पंजीकृत। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः जीटी रोड, पश्चिमः अन्य संपत्ति, उत्तरः वीनस ड्राई क्लीनर की दुकान, दक्षिणः भार्गव पेंट की दुकान।	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

मेरे हस्ताक्षर व मुहर सहित 15.09.2025 को दिया गया

वसूली अधिकारी डीआरटी, देहरादून

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मुखमेलपुर शाखा, मकान संख्या 225, ग्राम मुखमेलपुर, दिल्ली 110036
मेल आईडी ubin0540943@unionbankofindia.bank

धारा 13 (2) के अंतर्गत माँग सूचना

दिनांकः 18.09.2025 स्थानः दिल्ली

सेवा में
1(ए) श्रीमती अनीता (कर्जदार/आवेदक), मकान संख्या 339, भोरगढ़ नरेला, दिल्ली 110040
साथ हीः मकान संख्या 126, गली संख्या 1, छेलू वाली गली, भोरगढ़ नरेला, दिल्ली 110040
डीडीए फ्लैट संख्या 274, दूसरी मंजिल, ब्लॉक 5, पॉकेट 11, सेक्टर ए 6, नरेला, दिल्ली 110040
2. श्री वीर सिंह (जमानती), मकान संख्या 126, गली संख्या 1, छेलू वाली गली, भोरगढ़ नरेला, दिल्ली 110040
डीडीए फ्लैट संख्या 274, दूसरी मंजिल, ब्लॉक 5, पॉकेट 11, सेक्टर ए 6, नरेला, दिल्ली 110040
श्रीमान/महोदया,

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (3) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस।

आप, यहाँ सम्बोधिती संख्या 1, ने हमारी मुखमेलपुर शाखा से निम्नलिखित ऋण सुविधाएँ प्राप्त की हैं और बकाया/किस्त/ब्याज का भुगतान करने/खातों का संतोषजनक संचालन करने में विफल रहे हैं। इसलिए, आय पहचान और विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके खाते/खातों को 28/09/2023 तक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 31/08/2025 तक आपके खाते/खातों में **रु. 2,04,549.98 (रुपए दो लाख चार हजार पाँच सौ उनचास तथा अट्ठानवे पैसे मात्र)** की राशि बकाया है।
उपरोक्त खाते/खातों के संबंध में आप में से नंबर 1 से बैंक को देय राशि का विवरण निम्नानुसार हैः

सुविधा का प्रकार	एनपीए की तिथि अर्थात 31.08.2025 तक बकाया राशि	31/08/2025 से अप्रयुक्त ब्याज	दण्डात्मक ब्याज (साधारण)	बैंक द्वारा कृत लागत/प्रभार	सुविधा का प्रकार
बंधक ऋण	रु. 1,10,533.98	रु. 94,016.00	-	-	बंधक ऋण
कुल बकाया					

बैंक को देय धनराशि या देय होने वाली धनराशि की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए, श्रीमती अनीता ने 13/06/2015 को दस्तावेज निष्पादित किए थे/करती हैं और निम्नलिखित तरीके से प्रतिभूति हित सृजित किया था/करती हैं:

नीचे वर्णित अचल संपत्ति का बंधकः

डीडीए फ्लैट संख्या 274, दूसरी मंजिल, ब्लॉक 5, पॉकेट 11, सेक्टर ए 6, नरेला, दिल्ली 110040, सीमाएँः पूर्वः सीढ़ियाँ, पश्चिमः फ्लैट संख्या 273, उत्तरः सड़क, दक्षिणः पार्किंग

इसलिए, आपसे वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अनुसार, आपके द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और शुल्क सहित **रु. 2,04,549.98** की राशि का भुगतान करने और इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने का आह्वान किया जाता है। जिसमें विफल होने पर, हम उक्त अधिनियम के तहत दिए गए किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करके उपरोक्त प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए बाध्य होंगे।
अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, इस नोटिस की प्राप्ति पर आपको बैंक की सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूतियों का निपटान या लेनदेन करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है।
आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में सरफैसी की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
भवदीय, प्राधिकृत अधिकारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India

हौलम्बी शाखा
गाँव हौलम्बी खुर्द निकट मान पब्लिक स्कूल दिल्ली 110082
ईमेलः ubin0540561@unionbankofindia.bank

ड्रॉफ्ट मांग नोटिस धारा 13(2) के तहत

दिनांकः 20.09.2025, **स्थानः** दिल्ली

सेवा में:
1(क) श्री फिरोज (कर्जदार/आवेदक) मकान संख्या 321, पॉकेट 11, सेक्टर ए 6, नरेला, दिल्ली 110040
अन्य पताः I 325, गली संख्या 6, मजदूर जनता कॉलोनी, सीलमपुर, दिल्ली 110053
फ्लैट संख्या 407, दूसरी मंज़िल, ब्लॉक 7, पॉकेट 11, सेक्टर ए 6, नरेला, दिल्ली 110040
1(ख) श्रीमती शकीना (सह-आवेदक), मकान संख्या 321, पॉकेट 11, सेक्टर ए 6, नरेला, दिल्ली 110040
अन्य पताः I 325, गली संख्या 6, मजदूर जनता कॉलोनी, सीलमपुर, दिल्ली 110053
फ्लैट संख्या 407, दूसरी मंज़िल, ब्लॉक 7, पॉकेट 11, सेक्टर ए 6, नरेला, दिल्ली 110040
2. श्री दीपक कुमार (जमानती), दुकान संख्या 68/1, पुराने शिव मंदिर के पास, मेन रोड, भोरगढ़ दिल्ली 110040
345 डीडीए जनता फ्लैट्स पॉकेट 11 सेक्टर ए 6 नरेला दिल्ली 110040
महोदय/महोदया,

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(3) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत नोटिस

आप यहाँ उल्लिखित संबोधित नं. 1 ने हमारी हौलम्बी शाखा से निम्नलिखित ऋण सुविधाएँ प्राप्त कीं और देयों/किस्त/ब्याज के भुगतान/खातों को संतोषजनक प्रचालन करने में असफल रहे हैं और इसलिए, आरबीआई दिशा-निर्देशों जैसे इनकम रिकॉगनिशन एंड प्रूडेन्शियल एकाउन्टिंग नियमों के अनुसार आपका खाता/ते दिनांक **29.12.2024** को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है/हैं। दिनांक **31.08.2025** को आपके खाते में **रु. 5,11,378.49 (रुपये पाँच लाख ग्यारह हजार तीन सौ अठहत्तर और उनचास पैसा मात्र)** बकाया है।
उपरोक्त खाता/ओं के संबंध में आप क्रमांक 1 से बैंक को देय राशि का विवरण निम्नवत् हैः

सुविधा का प्रकार	बकाया राशि एनपीए की तारीख अर्थात 31.08.2025 को	अप्रयुक्त ब्याज 31.08.2025 तक	दंड स्वरूप ब्याज (साधारण)	लागत / प्रभार बैंक द्वारा वहन	कुल बकाया
गृह ऋण	रु. 4,68,841.49	रु. 42,537.00	–	–	रु. 5,11,378.49
कुल बकाया					**रु. 5,11,378.49**

बैंक को देय बकाया अथवा देय हो सकने वाली धनराशि के पुनर्भुगतान की प्रतिभूति के लिए श्री फिरोज और शकीना ने दिनांक 05.10.2015 को दस्तावेज निष्पादित किए और निम्न के द्वारा प्रतिभूति हित किया गयाः

नीचे वर्णित अचल संपत्ति का बंधनः

डीडीए फ्लैट संख्या 407, दूसरी मंजिल जनता श्रेणी में, ब्लॉक 7, पॉकेट 11, सेक्टर ए 6, नरेला, दिल्ली 110040। सीमाएँः- पूर्वः प्रवेश, पश्चिमः रोड, उत्तरः फ्लैट नं. 408, दक्षिणः फ्लैट नं. 406

इसलिए आपसे एतद्द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अनुपालन में आपके द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों के नियम एवं शर्तों के अनुसार राशि **रु. 5,11,378.49** को अनुबंधित दर से आगे की ब्याज व प्रभारों सहित इस नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने और अपनी देयताओं से मुक्त होने के लिए कहा जाता है, अन्यथा हम उक्त अधिनियम के तहत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग कर उपरोक्त प्रतिभूतियों का प्रवर्तन करने के लिए बाध्य होंगे।
अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार इस नोटिस की प्राप्ति पर आप बैंक की सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूतियों का निपटारा अथवा लेनदेन करने से निषिद्ध होंगे/मनाही होगी।
प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में सरफासी की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
भवदीय,
प्राधिकृत अधिकारी

HDFC BANK — We understand your world

कब्जे का नोटिस

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

शाखा का पताः द्वितीय एवं तृतीय तल, प्रीमियर प्लाजा, 106 राजपुर रोड, एस्टले हॉल के सामने, देहरादून-248 001
Tel. : 18002100018 — CIN : L65920MH1994PLC080618 — वेबसाइट : www.hdfcbank.com

जैसा कि **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में (माननीय एनसीएलटी-मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) **(एचडीएफसी)** वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन एक मांग सूचना जारी की जिसमें निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी-प्रतिनिधि (यों) को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई राशि के साथ कथित सूचना में दर्शाए गए अनुसार लागू दरों पर उसमें लगने वाले ब्याज को कथित सूचना (ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक प्रासंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि का भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	उधारकर्ताओं/कानूनी वारिसों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम	बकाया मांग देयराशियां* (रू0)	सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि एवं प्रकार	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1	**श्री अमर प्रसाद श्रेष्ठा (ऋणी) श्रीमती रचना श्रेष्ठा (सह-ऋणी)**	**46,59,282/-** दिनांक 30.06.2024* तक	28.08.2024	**29.09.2025 भौतिक**	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग खसरा नं0 105 के भाग पर एं खुली एवं आवासीय भूमि, ग्राम मिट्ठी बेहरी, परगना पचवादून, तहसील एवं जिला देहरादून, वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण सहित, **प्लाट क्षेत्रफलः 165 वर्ग मी0/1773.75 वर्ग फुट** एवं **कवर्ड क्षेत्रफलः 173.24 वर्ग मी0/1864.06 वर्ग फुट, चौहद्दीः पू:** भूमि श्री रोशन लाल, साइड माप 43 फुट 4 इंच, **पः** भाग भूमि अन्य एवं भाग 12 फुट चौड़ा रास्ता, साइड माप 43 फुट 4 इंच, **उः** भूमि श्री राम आसरे, साइड माप 41 फुट, **दः** भूमि श्री राजेश सिंह, साइड माप 41 फुट

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उचित लागू अनुसार आगे लगने वाले ब्याज, प्रासंगिक व्यय,लागत, प्रभार आदि के साथ, जैसा लागू हो।
हालांकि, उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी-प्रतिनिधि (यों) बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहें इसलिए एतद्द्वारा विशेषतः कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी-प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि **एचडीएफसी** के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों को अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर **भौतिक कब्जा** कर लिया है।
विशेषतः उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी-प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर कोई भी लेनदेन **एचडीएफसी** के बन्धक के अधीन होगा।
कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी-प्रतिनिधि (यों) को अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समय के भीतर प्रतिभूत परिसम्पत्ति/यों को मुक्त कराने की ओर से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त ऋणी/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि पंचनामा की तैयार प्रतियां उपलब्ध हैं, जिसे सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांकः 04.10.2025 — एचडीएफसी बैंक लि. के लिए
स्थान : देहरादून — प्राधिकृत अधिकारी
पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम) मुंबई-400 013

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालयः 31, जेल चुंगी
मेरठ शहर, फोन नं0 0121-433102

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

परिशिष्ट-IV नियम-8(1) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) एवं 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टर/बंधककर्ता को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी/ऋणियों/बंधककर्ता द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी/ऋणियों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 व उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा उनके खाते के सामने दी गई तारीख पर ले लिया है। ऋणी/ऋणियों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति के सम्बंध में किसी प्रकार का लेन-देन **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्लॉक टावर, सहारनपुर शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र0 सं0	शाखा/ऋणकर्ता/गारन्टर के नाम	बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की दिनांक	बकाया धनराशि
1.	**शाखाः सहारनपुर** **ऋणीः 1.** श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह, पवन विहार कॉलोनी, निकट आवास विकास पुलिस चौकी, मल्लीपुर रोड, सहारनपुर - 247001 (उ0प्र0)। **2.** श्रीमती बाला देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह, पवन विहार कॉलोनी, निकट आवास विकास पुलिस चौकी, मल्लीपुर रोड, सहारनपुर- 247001 (उ0प्र0)। **गारन्टरः** श्री अजीत सिंह, विशाल विहार, मल्लीपुर रोड, सहारनपुर-247001, (उ0प्र0)।	बंधक (भूमि एवं बिल्डिंग) डबल स्टोरी भूतल व्यावसायिक एवं प्रथम तल आवासीय के सभी भाग व भूखंड, मकान माप 115.55 वर्ग गज अर्थात् 96.61 वर्ग मीटर, पुलिस चौकी के सामने, मल्लीपुर रोड, स्थित प्लॉट नं0 231 का दक्षिण भाग, खसरा नं0 1015 ग्राम पिंजोरा बेरून दर आबादी पवन विहार कॉलोनी, सहारनपुर परगना तहसील एवं जिला- सहारनपुर। सीमाएँः- उत्तरः रिवीलेशन जिम, दक्षिणः शाकुंभरी मार्बल की दुकान, पूर्वः मल्लीपुर मेन रोड, पश्चिमः अन्य की सम्पत्ति।	16.07.2025 कब्जे (पजेशन) की तिथि **30.09.2025**	**रू0 11,47,996.98** दिनांक 16.07.2025 साथ में ब्याज और उस पर व्यय (यदि कोई भुगतान किया गया हो तो घटाया गया)

दिनांकः 03.10.2025 — स्थानः मेरठ — प्राधिकृत अधिकारी